

1  
प्रेषक,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

महामंत्री,  
अल्पसंख्यक शिक्षा विकास समिति,  
एम-09, न्यू एम0 आई0टी0, के0डी0ए0,  
कालोनी, जाजमऊ, कानपुर-उ0प्र0।

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2017/ 5602-05

लखनऊ:दिनांक- 20/7/17

विषय:- संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक जी0पी0/07/018 दिनांक 15-7-2017 को संदर्भित करने का कष्ट करें। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराया जाना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल सिविल अपील संख्या 9408/2012 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2012 के अनुपालन में क्रिसी शैक्षिक सत्र हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने की अंतिम तिथि उस वर्ष की माह मई की 15 तारीख है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर परिषद विचार करता है एवं इस हेतु कतिपय औपचारिकताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि उस वर्ष की 10 अप्रैल/30 अप्रैल निर्धारित की गयी है।


आपको उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराया जाना है कि इस संबंध में आप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवेदन पत्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रस्तुत करायें एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रस्तुत पत्र की हार्डकॉपी के साथ प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर निरीक्षण शुल्क सहित परिषद कार्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार तत्समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्रदान होने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आपके संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत निर्णय लिया जायेगा।

यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है, एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया यथा निरीक्षण आदि पूर्ण करने पर यदि संस्थान को उपयुक्त पाया गया तो ऐसी स्थिति में संस्थान को परिषद द्वारा सत्र

2018-19 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, एवं परिषद को कोई आपत्ति नहीं होगी। मा10 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश तिथि के अंदर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरांत एवं फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरांत ही संस्था द्वारा लिया गया प्रवेश मान्य होगा। निर्धारित तिथि के समाप्त हो जाने पर संस्था को उस सत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। उपरोक्तानुसार फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को अवगत कराना चाहें।

उपरोक्तानुसार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा।

भवदीय,


  
(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद/2017/

तददिनांक-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउंसिल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110 002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेलसन मण्डेला मार्ग, बसंत कुंज, नई दिल्ली-110067
3. उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

  
(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव